FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	Dated
	Dated

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 5.0012 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D. Almora Construction of Talet to Birkola Motor road (10.00 km) in Almora district falls within jurisdiction of Birkola, Talet Village (s) in Bhanoli tahsils.

It is further certified that:

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.- YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural at communities.-YES

Encl: As above

विका सहाज कृत्याण अधिकारी

Vinod kumar Suman District Collector, Almora

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 5.0012 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure to annexure	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to itYES	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Preagricultural communities- YES	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

स्ता स्ताज करमा ज सिक्सा श्री

Vinod kumar Suman (1)
District Collector, Almora

FORM-II

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	Dated
	Date a

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 5.0012 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D. Almora Construction of Talet to Birkola Motor road (10.00 km) in Almora district falls within jurisdiction of Birkola, Talet Village (s) in Bhanoli tahsils. It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 5.0012 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexureto annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forestdwellers, who are eligible under the FRA.: YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Birkola, Talet villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

। जिलान्य सानान्य हमार्गेन्त्र

District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date. Almora in which application claiming rights in Talet area measuring 5.0012 hec. for the Construction of Talet to Birkola Motor road (10.00 km) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhanoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committe

Dated:

जिला समाज कत्याण अधिकारी अल्मोडा

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :--जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड धौलादेवी के अन्तर्गत तलेट-बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम

तहसील-भनोली, जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड धौलादेवी के अन्तर्गत तलेट-बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 2.1375 है0 आरक्षित वन भूमि, 2.4137 है0 सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.450 है0 अर्थात कुल 5.0012 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कि बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कि जेत्न के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 X - प्राप्ता ग्राम सविव ह0 प्रधान वाय ग्रामंत्राष्ट्रज्ञान विरकोला वि०व०-धोलादेवी(अल्मोड्रा)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 15/10/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत किरकोला

ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
11/(1) = 1/(1) 1/(1)	
311416 (12) 2114 14 (9) (11)	Govern
हरीशराम् याम मेपाडी	And -
CIHIGE HAIS)	
धान (12) संइस्प वर्ग डोसी	
यतापांप्ट	युताप (सिष्ट
	गापाल(भ् ग्राम विकाल)

त्रिशान जाम ग्रामानिवरंकोला वि ब - धोलादेवी(अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :--जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड धौलादेवी के अन्तर्गत तलेट-बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भनाली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम् 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, जैतिः अनेनिः

उपखण्ड जैती अनेत्नी परिक्षेत्र के अन्तर्गत (2.1375 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.4137 है0 सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.450 है0 अर्थात कुल 5.0012 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भनोली) की दिनांक 22/10/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उनानेल क्रायाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनिल कृमार चन्याल, उपजिलाधिकारी, भनोली, अध्यक्ष
- 2- श्री अमरेश कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

3— श्री किशन सिंह जड़ौत, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, धौलादेवी, सदस्य / सचिव 4— श्री <u>१। न (१२)</u> बी०डी०सी० क्षेत्र में स्वर्ध सदस्य स्वीकारी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोडा में विकासखण्ड घौलादेवी के अन्तर्गत तलेट-बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 किमी0) नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोडा (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापित्त जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड जैती को परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड धौलादेवी के अन्तर्गत तलेट—बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 5.0012 है0 वन भूमि नि०ख० लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

डप निनारिकीर
उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- जैती अनीली
जनपद अल्पेडा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— जैती अनोती जनपद अक्रोडी परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड धौलादेवी के अन्तर्गत तलेट-बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद—अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकासखण्ड धौलादेवी के अन्तर्गत तलेट—बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 5.0012 हे0 वन भूमि नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जिले को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जिले को विकास के विकास अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

हप जिलाधिकारी जैती/भनोली भनोली भनोली भनोली भनोली भनोली ह0/- जिला अधिकारी

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :—जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड धौलादेवी के अन्तर्गत तलेट—बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड धौलादेवी के अन्तर्गत तलेट—बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 5.0012 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11—9/98—एफ०सी० दिनांक 05—02—2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिला समाज करणाण स्विकारी स्वला समाज करणाण स्विकारी जिला अधिकारी जिलाधिकारी अल्मीडा